



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक-19 मार्च, 2024

थाना कोतवाली नगर

धोखाधडी कर कुण्डल ठगने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से एक जोडी कुण्डल (पीली धातु) व अवैध असलहा बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18-03-2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर मेरठ प्राइवेट बस अड्डे के पास से धोखाधडी की घटना कारित कर कुण्डल ठगने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को एक जोडी कुण्डल (पीली धातु) व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 206/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार दोअभियुक्त नाम पता-

1. करन पुत्र बाबूलाल निवासी कोटला चुंगी तिलक नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
2. राजेश्वरी पत्नी बाबूलाल निवासी कोटला चुंगी तिलक नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 जोडी कुण्डल (पीली धातु)
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 17.03.2024 को अनूपशहर रोड काली नदी पुल के पास एक महिला को धोखाधडी से कागज के टुकडो पर ऊपर नीचे 500-500 रुपये के नोट लगाकर उन्हे कपडे मे लपेटकर 50000/- रुपये बताकर एक महिला से कुण्डल ले लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-204/24 धारा 420/411 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तारी अभियुक्त करन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस 204/2024 धारा 420/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
2. मुअस 206/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर

गिरफ्तारी अभियुक्ता राजेश्वरी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस 204/2024 धारा 420/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवालीनगर
2. उ०नि० केबल सिंह
3. है०का० मोहित,म०का० मोनिका



मीडिया सेल, बुलंदशहर